

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1207/2022/10-11/1063

भोपाल, दिनांक 01/04/25

प्रति,

महाप्रबंधक,

जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,

सिंगरौली, म.प्र.

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ROW में पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8057 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/WATER/151757/2023)

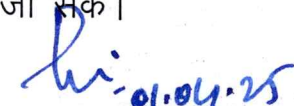
संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 07.03.2025

....0....

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में भारत सरकार ने बिन्दु क्रमांक 01 में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे किन्तु आपके द्वारा सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्यविभाग सिंगरौली को लिखे गए पत्र की प्रति अपलोड कर वन मण्डल अधिकारी की ओर अग्रेषित किया गया है, जो जानकारी पूर्ण नहीं है एवं बिन्दु क्रमांक 02 में पूर्ण KML file वन एवं राजस्व क्षेत्र की जिसमें WTP, OHT एवं पाईप लाईन हो, किन्तु भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में KML file अपलोड की गई है, कुछ पाईप लाईन रोड को क्रॉस कर रही है तथा कहीं-कहीं छोड़ दिया गया है। वन एवं राजस्व क्षेत्र की पूर्ण KML file अपलोड करें। जहां KML file बीच में ही छोड़ दिया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई दोनों बिन्दुओं की जानकारी स्पष्ट एवं पूर्ण भिजवायें, ताकि स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके। प्रकरण में WTP, OHT एवं पाईप लाईन का अलग-अलग कितना-कितना रकबा वन एवं राजस्व का प्रभावित हो रहा है, अवगत कराएँ, ताकि KML file से मिलान किया जा सके।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

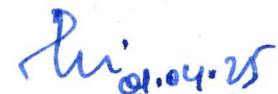
भोपाल, दिनांक 01/04/25

पृ. क्रमांक/एफ-5/1207/2022/10-11/1064

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।

2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली की ओर भेजकर लेख है कि भविष्य में बिना प्रकरण का परीक्षण किए एवं पूर्ण जानकारी के इस कार्यालय को नहीं भेजेंगे, जिससे अनावश्यक रूप से प्रकरणों में विलम्ब होता है।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल